



## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन  
शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092

### CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)  
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092

एफ.न./सीबीएसई/एडम.।।।/प्रिंट/2015/430-438

दिनांक : 07.04.2015

### परिपत्र

1. मैसर्स मेहक ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-22, डीएसआईडीसी काम्प्लेक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, (हॉडा सर्विस सेंटर के निकट) दिल्ली- 110095 के दिनांक 3.12.2013 के कार्य आदेश सं. 19/सीबीएसई/एडम.।।।/प्रिंटिंग/2013-14 के द्वारा कक्षा दसवी के लिए इंग्लिश मेन कोर्स पुस्तिका की 50000 प्रतियों की पुनः प्रिंटिंग का कार्य दिया गया था। कार्य आदेश के अनुसार मैसर्स मेहक ऑफसेट प्रिंटर्स को कथित पुस्तक की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति पेपर का पहला लॉट प्राप्त होने की अगली तिथि से 45 के अंदर करनी थी। सीबीएसई प्रकाशन स्टोर पटपड़गंज के आपूर्ति रिकॉर्ड के अनुसार कथित प्रिन्टर ने दिनांक 31.03.2014 को उक्त पुस्तक की 50000 प्रतियों में से केवल 9300 प्रतियों की आपूर्ति की थी।
2. कथित प्रिन्टर को एडम.।।। द्वारा लिखित में ईमेल के माध्यम से अनेक अनुस्मारक दिए गए थे किन्तु सब बेकार और पेपर की कमी के कारण शेष 40700 पुस्तकों की आपूर्ति बोर्ड को करने में असमर्थता प्रकट की क्योंकि प्रिन्टर द्वारा उसकी लापरवाही के कारण पेपर खराब कर दिए गए थे।
3. केस की जांच करने और मामले के वास्तविक तथ्य का पता लगाने के लिए मामला सतर्कता अनुभाग को सौंप गया। मामले की पड़ताल कर, सतर्कता जांच की गई और रिपोर्ट दी गई कि उक्त प्रेस के परिसर में समिति द्वारा कोई खराब पेपर नहीं पाया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, सीबीएसई को उक्त पुस्तक की 40700 प्रतियाँ प्रिंट एवं आपूर्ति न करने और इस पुस्तक के प्रिंट के लिए सीबीएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए पेपर का गलत प्रयोग करने के लिए प्रेस के विरुद्ध निम्नलिखित कारवाई की गई।

क. मैसर्स मेहक ऑफसेट प्रिंटर्स से खराब किए गए पेपर कीमत रु. 251866/-  
वसूल करना।

ख. बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 28.07.2014 के आदेशों के अनुपालन में  
बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों की प्रिंट करने के लिए मैसर्स मेहक ऑफसेट प्रिंटर्स  
पर  
तत्काल तीन वर्ष के लिए रोक लगाई जाती है।

हस्ता/-  
(रनवीर सिंह)  
संयुक्त सचिव (प्रशा. एवं विधि)

**वितरण:**

1. अध्यक्ष के वैयक्तिक सचिव
2. परीक्षा नियंत्रक वैयक्तिक सचिव
3. सचिव वैयक्तिक सचिव
4. निदेशक (एआरटी व आई)
5. सतर्कता यूनिट सीबीएसई दिल्ली
6. क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली)
7. विधि प्रकोष्ठ, सीबीएसई दिल्ली
8. उप सचिव (आईटी) सीबीएसई (एचक्यू) दिल्ली को परिपत्र सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. मैसर्स मेहक ऑफसेट प्रिंटर्स ए-22, डीएसआईडीसी काम्प्लेक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, (होंडा सर्विस सेंटर के निकट) दिल्ली- 110095